



सीएसआईआर - केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
CSIR- CENTRAL ELECTRONICS ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE
(विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय / MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY, भारत सरकार/GOVT. OF INDIA)
पिलानी, राजस्थान (भारत)/Pilani, Rajasthan - 333031 (INDIA)

नीलामी की सूचना

संस्थान में निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनुपयोगी / अनुपभोज्य / स्क्रेप सामग्री का निस्तारण "जहाँ है जैसा है" के आधार पर किया जाना है जिसके लिए सील बंद लिफाफे में निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं इच्छुक व्यक्ति / फर्म लोटों का निरीक्षण करके सील बंद लिफाफे में अपनी निविदाएँ अग्रिम जमानत राशी डी डी के रूप में सलग्न कर कार्यालय में दिनांक 19/09/2016 सायं 2.30 बजे तक जमा कर सकते हैं। निविदाएँ उसी दिन सायं 3.30 बजे खोली जाएगी।
सामग्री: कम्प्यूटर एवं प्रिंटर, ओसिलोस्कोप, पॉवर सप्लाइ, फोटो कॉपी मशीन, फैक्स मशीन, मिक्रोस्कोप, पंप, मोटर एवं कम्प्रेसर, पल्स जनरेटर, स्वीप जनरेटर, एम्बेसडर कार एवं रोगी वाहन (एम्बुलेंस), मैसूर किलोस्कर लेथ मशीन, पी टी सी ओखला उच्च परिशुद्धता मशीन तथा स्टील एवं लकड़ी के फर्नीचर, तांबा, एल्युमीनियम आयरन स्क्रेप आदि।

उपर्युक्त सामग्री का निरीक्षण दिनांक 13/09/2016 से 16/09/2016 तक अपराहन 2.30 से 5.00 तक किया जा सकता है।

भंडार एवं क्रय अधिकारी

स्टोर निपटान 2016 लाटों का विवरण

लॉट नंबर 01 अनुपयोगी बेकार (unserviceable) सामग्री : कम्प्यूटर एवं प्रिंटर, ओसिलोस्कोप, पॉवर सप्लाई, इलेक्ट्रिक टाईपराइटर, पेपर सेडर, फोटो कॉपी मशीन, फैक्स मशीन, वैक्यूम पंप, मोटर एवं कम्प्रेसर, पल्स जनरेटर, स्वीप जनरेटर, डोकोमेंट वाइंडिंग मशीन आदि ।

(कुल 477 नग) (दो स्थानों पर)

लॉट नंबर 02 अनुपयोगी बेकार (unserviceable) सामग्री : एयर कंडीशनर, रेफ्रीजिरेटर, रूम कूलर, मोटर एवं सबमर्सिबल पंप, रंगीन टी. बी , सी. आर. ओ. , पॉवर सप्लाई, बैटरी आदि ।

(कुल 130 नग)

लॉट नंबर 03 अनुपयोगी बेकार (unserviceable) सामग्री : बिभिन्न प्रकार के ओजार (टूल) ताले, बैटरी हीटर, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग स्टेशन, कैलकुलेटर, आई सी डी पी एवं आई सी टी पीम स्विच, टेबल फेन, टार्च एवं रिचार्जबल टार्च, ब्रीफ/ सूट केस, मीटर, टेलीफोन, गीजर, दिवार घड़ी, टेबल फैन, सीलिंग फैन आदि । (कुल 402 नग)

लॉट नंबर 04 अनुपयोगी बेकार (unserviceable) सामग्री : मैसूर किलोस्कर लेथ मशीन, पी टी सी ओखला उच्च परिशुद्धता मशीन । (दो नग)

लॉट नंबर 05 (Condemned): एम्बेसडर कार (एक नग)

लॉट नंबर 06 (Condemned): रोगी वाहन (एम्बुलेंस) (एक नग)

लॉट नंबर 07 अनुपयोगी बेकार (unserviceable) सामग्री : स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर, डिमर स्टेट, लाइन वोल्टेज ट्रांसफार्मर आदि । (चार नग)

लॉट नंबर 08 अनुपयोगी बेकार (unserviceable) सामग्री: स्टील एवं लकड़ी के फर्निचर जैसे कुर्सी, टेबल, सोफा सेट, फाइल रैक, फाइल कैबिनेट, अलमारी आदि । (कुल 255 नग)

लॉट नंबर 09 बेकार स्ट्रैप: तांबा, एल्युमीनियम आदि के तार, बीब कॉक, फ्लोट वाल्व, पिलर कॉक, कटिंग वायर एवं अन्य प्रकार के सेनेटरी की सामग्री आदि । (एक लॉट)

लॉट नंबर 10 बेकार स्ट्रैप : आयरन सीट, आयरन एंगल, लोहे का स्ट्रैप, लोहे की पाइप, स्टील एवं लकड़ी के फर्नीचर का स्ट्रैप, पुराने दरवाजे, पुराने खिड़की, केमिकल बेंच, एवं बिजली की फिटिंग सामग्री आदि । (एक लॉट)

(तीन स्थानों पर स्टोर के पीछे सड़क पार खुले मैदान में चारदीवारी के अन्दर, स्टोर के रेम पर एवं स्टोर के अंदर बाएं ओर के कमरे में बिजली आदि की सामग्री)

स्टोर निपटान वर्ष 2016 हेतु नियम व शर्त

01. सभी साम सामग्रियों का विक्रय "जहाँ है जैसा है" के आधार पर किया जायेगा।
 02. शर्तों के साथ कोई भी निविदा स्वीकार नहीं होगी और ऐसे टेंडर निरस्त / माने किये जायेंगे।
 03. लॉटों का मूल्यांकन अलग - अलग लॉट के अनुसार किया जायेगा। यदि कोटेशन में सभी लोटों का मूल्य एक साथ एक लॉट के रूप में दिया गया हो तो ऐसे कोटेशन को रद्द माना जायेगा।
 04. लॉट को उठाने गाड़ी में भरने तथा ले जाने का पूर्ण व्यय एवं व्यवस्था स्वयं खरीदार को करनी होगी। कार्यालय द्वारा इसमें किसी प्रकार के सहयता नहीं की जायेगी।
 05. लॉट के संपूर्ण धनराशी जमा कराने के पश्चात ही लॉट को बाहर ले जाने अनुमति दी जाएगी।
 06. कोटेशन पर पूर्ण नाम, पता, मोबाइल नंबर सभी साफ साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए तथा डी. डी. का नंबर एवं जारी करने वाले बैंक का नाम साफ साफ होना चाहिए।
- टेंडर भेजने का तरीका :**
1. लिफाफा जिसमें टेंडर / निविदा भेजा गया हो सील बंद होना चाहिये।
 2. लिफाफे में " स्टोर निपटान हेतु निविदा " एवं खुलने का समय एवं तारीख अवश्य लिखी होनी चाहिए।
07. कोटेशन लॉट का मूल्य शब्दों एवं अंकों में साफ साफ अंकित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के गुमराह किये गये या अस्पष्ट कोटेशन को रद्द माना जायेगा।
 08. उच्चतम कोटेशन वाली फर्म को पूर्ण राशी 10 कार्यदिवस में जमा करना होगा।
 09. स्वीकृत निविदादाता को कार्यालय से पत्र मिलने के 15 कार्यदिवस के अंदर पूर्ण लॉट के सामग्री उठाकर ले जानी होगी, तथा इस अवधि के बाद पूर्ण या बचे लॉट की सामग्री पर कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा पूर्ण जमा की गयी राशी जब्त कर ली जाएगी।
 10. निदेशक सी. एस. आई. आर. सीरी पिलानी के पास बिनाकारण बताये टेन्डर/ कोटेशन को निरस्त करने का अधिकार है।
 11. टेंडर के साथ बयाना राशी सभी लोटों के लिए रुपये 30000/- (तीस हजार मात्र) का डी. डी. " निदेशक सीरी " (DIRECTOR CEERI) के नाम तथा एस. बी. बी. जे. पिलानी में देय हो सलग्न करना होगा जो सफल निविदादाता को छोड़ कर लोटाये जाने योग्य होगा तथा सफल/ उच्चतम निविदादाता के डी. डी. को पूर्ण भुगतान के साथ समायोजित किया जायेगा या उच्चतम निविदा होने के पश्चात लॉट न ले जाने पर जब्त किया जायेगा।
 12. क्रेता को उच्चतम निविदा पर टैक्स स्वयं ही वहन करना होगा तथा " सहायक वाणिज्य के अधिकारी चिडावा " (टैक्स कार्यालय) में जमा करके रसीद प्राप्त कर इस कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही लॉट को ले जाने की अनुमति होगी।

13. गाड़ी की डिलीवरी से पूर्व गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को क्रेता द्वारा अपने नाम से डी टी ओ से दर्ज कराना आवश्यक होगा उसके उपरान्त ही गाड़ी के डिलीवरी दी जायेगी | इसके लिए दो माह का अतिरिक्त समय दिया जायेगा |
14. नीलामी के दौरान किसी भी विवाद को आर्बिट्रेशन अधिनियम 1940 के प्रवधानों के अंतर्गत सीरी / सी. एस. आई. आर. के एक मात्र मध्यस्त के पास भेजना होगा जिसका निर्णय दोनों पार्टियों के लिए मान्य होगा |
15. सामग्री का निरीक्षण दिनांक 13/09/2016 से दिनांक 16/09/16 तक सायं 2.30 से 5 बजे तक किया जायेगा एवं निविदा जमा करने के अंतिम तिथि दिनांक 19/09/16 को सायं 2.30 तक होगी तथा निविदा उसी दिन सायं 3.30 बजे खोली जाएगी |
16. लोटों को उठाने के बाद वहां पर लोटों के अनुपयोगी बची सामग्री / कबाड़ निविदादाता को साफ करना होगा |
-